

राजस्थान सरकार
(आयोजना विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.10 / डीईएस / लेखा / बी.एफ.सी.-प्लान / 2016-17 / I/56988 दिनांक 15-09-16

बजट परिपत्र

विषय:- वर्ष 2017-18 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा वर्ष 2016-17 के लिए संशोधित अनुमान प्रेषण के क्रम में।

समस्त सम्बन्धित अधिकारी निर्देशित किये जाते हैं कि प्रतिवर्ष की भाँति वर्ष 2017-18 के लिए आय-व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2016-17 के लिए संशोधित अनुमान वित्त (आय -व्यय) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.4(38)वित्त -1(1)आ.व्य./2016 जयपुर दिनांक 09 सितम्बर 2016 (संलग्न) द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित बजट प्रोग्राम तिथि को निर्धारित प्रपत्र सं. 1 से 13 में (Plan+ Non-Plan) के बजट प्रस्ताव तैयार करवाकर एक प्रति के साथ सम्बन्धित कार्मिक एवं कम्प्यूटर दक्ष कार्मिक को निदेशालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। (विस्तृत विवरण विभागीय पोर्टल पर देखें।)

आप द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक/संशाधित अनुमानों को I.F.M.S.पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाना है। प्रत्येक शीर्षों के लिए अलग-अलग प्रपत्रों का उपयोग करते हुए बजट तैयार करावें। यात्रा, चिकित्सा व अन्य लम्बित देयताओं की सूचि पृथक से तैयार करवाकर प्रेषित करावें। स्वीकृत पदों की स्थिति जानने के लिए I.F.M.S.पोर्टल पर finance → Post Distribution → Report का अवलोकन करें। प्रस्तुत किया जाने वाला बजट सही एवं पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया जाना है, गलत सूचना प्रेषण से चालू वित्तीय वर्ष व आगामी वित्तीय वर्ष में प्रभावित होने वाली स्थिति के लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।


संलग्न:- बजट प्रोग्राम


(राजकुमार पाण्डे)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.10 / डीईएस / लेखा / बी.एफ.सी.-प्लान / 2016-17 / I/56990 दिनांक 15-09-16

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख हैं कि जारी वित्त विभाग के बजट परिपत्र की अनुपालना करते हुए पूर्ण गणितीय शुद्धता के साथ निर्धारित प्रोग्राम तिथि को बजट प्रस्ताव व्यक्तिशः सम्बन्धित कार्मिक एवं कम्प्यूटर दक्ष व्यक्ति के साथ प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करावें।

1. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक.....
2. सहायक लेखाधिकारी-I/II/प्रशासनिक अधिकारी
3. स्टोर कीपर श्री...../केयर टेकर श्री.....
3. प्रोग्रामर श्री मुद्दन्द पाल मिहं मुख्यालय को वास्ते विभागीय, पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित हैं।


लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
 (आयोजना विभाग)
 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर।

बजट प्रोग्राम

क्र. स.	जिला कार्यालय	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 निदेशालय में प्रस्तुत कराने की दिनांक	क्र. स.	जिला कार्यालय	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 निदेशालय में प्रस्तुत कराने की दिनांक
1.	बूदी	22.09.2016	18.	जालौर	24.09.2016
2.	चुरू		19.	झालावाड़	
3.	हनुमानगढ़		20.	जोधपुर	
4.	झुन्झुनू		21.	नागौर	
5.	करौली		22.	पाली	
6.	कोटा		23.	राजसमन्द	
7.	सीकर		24.	सिरोही	
8.	टोंक		25.	अजमेर	
9.	बांसवाड़ा		26.	अलवर	25.09.2016
10.	बारां		27.	भरतपुर	
11.	बाड़मेर		28.	दौसा	
12.	भीलवाड़ा		29.	धौलपुर	
13.	बीकानेर		30.	जयपुर	
14.	चित्तौड़गढ़		31.	सवाईमाधापुर	
15.	झूंगरपुर		32.	उदयपुर	
16.	गंगानगर		33.	प्रतापगढ़	
17.	जैसलमेर		34.	मुख्यालय	



लेखाधिकारी

समस्त नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का कृपया अन्यन्त सावधानीपूर्वक पठन कर सभी स्तरों पर बांधित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

बजट परिपत्र

संख्या : प.4(38)वित्त-1(1)आ.व्य./ 2016

जयपुर, दिनांक : 09 सितम्बर, 2016

विषयः—आगामी वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए संशोधित अनुमान।

1. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय-व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 के संशोधित अनुमान निर्धारित समयावधि में निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर, अनिवार्य रूप से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वित्त विभाग में प्रेषित किए जाएं। आय-व्ययक अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश परिशिष्ट “क” “ख” “ग” “घ”, समय सारणी को परिशिष्ट “ड” एवं निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 13 वित्त विभाग की वेबसाइट finance.rajasthan.gov.in से Download किये जावें। इसके अतिरिक्त परिपत्र में संदर्भित विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों की प्रति भी सुलभ संदर्भ हेतु इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त दिशा निर्देश एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट <http://ifms.raj.nic.in> पर भी उपलब्ध है।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 से आयोजना एवं आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर को समाप्त कर व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व एवं पूँजीगत मद में ही किया जाना विचाराधीन है। अतः समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारियों से अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिन बजट शीर्षों में आयोजना भिन्न तथा आयोजना (दोनों) में प्रावधान है, उनमें आयोजना भिन्न से संबंधित व्यय के लिए नवीन बजट शीर्ष खुलावा कर वर्ष 2017–18 हेतु बजट अनुमान के प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।
3. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है :—
 - आय-व्ययक अनुमान तैयार करने के साबन्ध में समस्त आकलन अधिकारियों तथा नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखे जाने योग्य विशेष दिशा निर्देश परिशिष्ट “क” पर उपलब्ध हैं।
 - विभागों में विद्यमान पद, कार्यरत कार्मिक, दूरभाष सुविधा, कम्प्यूटर्स संबंधी उपकरण तथा वाहनों का विवरण संबंधित विभागों द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में माह सितम्बर, 2016 में ऑन-लाइन अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। इन सूचनाओं / विवरण के अद्यतन होने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 4 के अधिकांश कॉलम्स में सूचना स्वतः दर्शित होगी। इस संबंध में कोई कठिनाई होने पर वित्त विभाग में स्थापित हेल्प डेस्क से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
 - राजस्व प्राप्तियों के अनुमान कर, शुल्क, फीस आदि की विद्यमान दरों पर आधारित होने चाहिए। व्यय के अनुमानों का समुचित तरीके से वास्तविक आकलन किया जाए एवं अनावश्यक व्ययों हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाए जाएं। एक मुश्त प्रावधान के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जाएं।


2/-

- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (Special Component Plan for Scheduled Caste) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (Tribal Sub Plan) हेतु निर्धारित निधि प्रवाह (Funds Flow) सुनिश्चित करने के लिए आयोजना विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(10)आयो/ग्रुप-5/2009 दिनांक 06.02.2012 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परिपत्र क्रमांक प.10(20)आयो/ग्रुप-5/2013 दिनांक 17.09.2013 द्वारा निर्धारित प्रतिशत में प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
 - जेण्डर बजट स्टेटमेंट तैयार करने के लिए वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.4(92)वित्त-1(1)आय-व्ययक/2008-पार्ट-2 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 तथा महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों तथा योजनाओं में महिलाओं के लिए आवंटित राशि के आधार पर निर्दिष्ट वर्गीकरण करते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
 - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों, यथा प्रारम्भिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग मय निधियों, गतिविधियों एवं कार्मिकों के हस्तान्तरण के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक निधियां हस्तान्तरित करने के लिए इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(22) वित्त-1(1)/आ.व्य./03 दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार बजट प्रावधान प्रस्तावित किए जाएं।
 - योजनागत बजट का 3 प्रतिशत भाग विभाग की ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, आई.टी. के प्रयोग एवं कम्प्यूटराइजेशन में उपयोग करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के परिपत्र क्रमांक F.(387)DoIT/Tech/09/2834 दिनांक 04.12.2009 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अध्यधीन बजट प्रावधान प्रस्तावित किए जाएं।
 - उपयुक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/विभागों द्वारा किसी तरह के पृथक से आदेश/परिपत्र जारी किये जाने की स्थिति में तदानुसार प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।
4. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने के लिए विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है। यह विवरण उपरोक्त साइट पर Operational Manual के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) भी इस साइट पर उपलब्ध होंगे। तकनीकी सहायता के लिए वित्त विभाग, सचिवालय में स्थित हैल्म डैस्क (0141-5153222, Ext. 24449/24452) पर या e-mail के माध्यम से ifms-rj@nic.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
5. “राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता” की श्रेणी में आने वाली योजनाओं एवं इसकी घटक योजनाओं/उपयोजनाओं की मेपिंग आयोजना विभाग से करावें। एक से अधिक योजनाओं/ उप-योजनाओं का विवरण अलग प्रपत्र में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावें।
6. विभाग, जिन्हें निष्पादन आय-व्ययक भी प्रस्तुत करना है, की सूची मय आवश्यक दिशा-निर्देश परिशिष्ट -‘ग’ पर उपलब्ध है।
7. समस्त अपेक्षित सूचना भेजने में होने वाली त्रुटियों की सम्भावना समाप्त करने हेतु उचित जाँचों एवं सावधानी से कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से परिशिष्ट -‘घ’ के रूप में एक मार्ग दर्शिका दी गई है। समस्त विभागाध्यक्षों को सलाह दी जाती है कि

98/1

वे अनुमान प्रस्तुत करते समय इस मार्ग दर्शिका का उपयोग करें।

8. समर्त बजट आकलन अधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे बजट प्रस्ताव परिशिष्ट – ‘ड’ पर उपलब्ध समय सारिणी में अंकित निर्धारित तिथि तक सारिणी में दर्शित विभाग को प्रेषित करें।



(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्डवाई हेतु प्रेषित है :—

- (1) सचिव, मुख्यमंत्री महोदय
- (2) समर्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
- (3) विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
- (4) निजी सचिव, मुख्य सचिव
- (5) प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- (6) समर्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
- (7) सचिवालय के समर्त अनुभाग
- (8) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :—

- (1) प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल
- (2) सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
- (3) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
- (4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- (5) सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर
- (6) अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि बजट परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।


(शरद मेहरा)
निदेशक (बजट)

[8 / 2016]